राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–सिन्दरू

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 88/12
तारीख दायरा 09.10.2012
तारीख फैसला 11.05.2016

वादीनी–	**बनामः**	**प्रतिवादीगण–**
श्रीमती पवनी पुत्री स्व.तोलाराम पत्नी प्रतापदास जाति साद निवासी सिन्दरू हाल खिमाडा तहसील सुमेरपुर		1–देवीदास पुत्र स्व.तोलाराम 2–हनुमानदास स्व.तोलाराम 3–चुन्नीलाल पुत्र स्व.तोलाराम तमाम जाति साद निवासी सिन्दरू 4–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फैसला :–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र सिन्दरू में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। लोक अदालत की भावना से प्रतिवादी सं.02 व 03 ने वाद तथ्यों के बारे में इकबालिया जवाबदावा पेश किया जिसे रेकर्ड पर लिया गया, प्रतिवादी सं. 01 ने राजीनामा पेश कर वाद तथ्यों के अनुरूप सहमति व्यक्त की, प्रस्तुत राजीनामा रेकर्ड पर लिया गया। हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। पत्रावली पर उपलब्ध वाद–विषयक स्थिति अनुसार व बरोज आज वादीनी के कथनानुसार सरहद मौजा सिन्दरू तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 606 रकबा 1.14 हेक्टर जिसके गत् खसरा नं. 235 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीनी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के पिता स्व.तोलाराम पुत्र पुनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज थी, स्व.तोलाराम पुत्र पुनाराम की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीनी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 स्व.तोलाराम पुत्र पुनाराम के कानूनी वारिस होने से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीनी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 का बराबर–2 खातेदारी का हक हिस्सा आता है, परन्तु उक्त भूमि एकमात्र प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के नाम से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई, इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीनी को निहित हक–हिस्से माफिक खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रार्थना की है।

(2) कि कथित प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रतिवादी सं.02 व 03 ने वाद तथ्यों को स्वीकार कर इकबालिया जवाबदावा पेश किया, साथ ही प्रतिवादी सं.01 ने राजीनामा पेश कर वाद तथ्यों को स्वीकार किया है, इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड आधारित वाद तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादीनी द्वारा अभिव्यक्त किए गये कथनानुसार एवं उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार वादीनी का यह वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

(3) कि उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः लोक अदालत की भावना के तहत वादीनी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा सिन्दरू तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 की खातेदारी कृषि भूमि हाल खसरा नं. 606 रकबा 1.14 हेक्टर में वादीनी को भी बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का सिन्दरू उक्त निर्णय माफिक राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय बरोज आज दिनांक 11.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प सिन्दरू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर. जिला–पाली (राज)

Scanned by CamScanner